राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

क्रमांक राप्रनिम/बीका/तक/1714 दिनांक : 14.12.2009

पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. जयपुर ने निकट ग्रम ठुकराना और प्रभात नगर, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर में सूरतगढ सुपर क्रिट्रिकल ताप विद्युत परियोजना उत्पादन क्षमता 2x 660 मेगावाट प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।
2. और चूंकि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि,.जयपुर ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया है।
3. और चूकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. उक्त परियोजना से संबधित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिर्पोट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
   1. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
   2. जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर।
   3. जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
   4. क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर।
5. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,मुख्य कार्यालय,4, पर्यावरण मार्ग,संस्थानिक क्षेत्र,झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. क्षेत्रिय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ

अत: सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय क्लीयरेंस से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए लोक सुनवाई हेतु दिनांक 29.01.2010 को प्रात: 11:30 बजे इरेक्टर हॉस्टल, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित/मौखिक सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर को भी दिये जा सकते हैं।

RVUN/PR-1483/2009

(आर.बी. मोर्य), क्षेत्रीय अधिकारी